सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 37/2026 दर्ज दिनांक : 16.03.2026

1. रामकुमार सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू

–वादीगण–

बनाम

1. दीपेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरू
2. शक्ति सिंह पुत्र श्री मान सिंह जाति राजपूत निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब चूरू

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
श्री जसवीर अधिवक्ता वादी
श्री शंकर सिंहमार अधिवक्ता प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: निर्णय :

वादी की ओर से दावा नीचे लिखेनुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1139/922 तादादी 0.2023 हेक्टेयर रोही रामसरा तहसील व जिला चूरू वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है।
2. यह कि कृषि भूमि में वादी का सम्पूर्ण कृषि भूमि में 17873/32368 हिस्सा अर्थात् 0.1117 हेक्टेयर की है जिसे वादी के हिस्से कब्जा काश्त के अनुसार कृषि भूमि का खाता विभाजन लगान एनेक्चर ए के अनुसार अलग किया जावे। इसलिए अदालत मातहत में यह दावा पेश किया जा रहा है।
3. यह कि वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। यह कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण के अविभक्त रूप से संयुक्त कब्जे व काश्त में चली आ रही है जिसके प्रमाण [illegible] 2074 की प्रमाणित प्रतिलिपि दावा हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही है।
4. यह कि अब वादी एवं प्रतिवादी[illegible] है और कृषि भूमि अपने अलग–अलग हिस्सों पर काश्त कर रहे है और [illegible] में रहने से वादग्रस्त कृषि भूमि के अच्छे व हल्की किस्म को लेकर व काश्त के मध्य लूंग पाला [illegible] लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान के मध्य तनाजा बना रहता है इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वादी के अपने हिस्से की खातेदारी कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से की कृषि भूमि का खाता व लगान अलग–अलग कायम करवायें जिस हेतु कृषि भूमि के विभाजन का यह दावा पेश किया जा रहा है।

5. यह कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को कहा व कहलवाया कि साथ चलकर वादी के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा व लगान अलग कायम करवा लें मगर प्रतिवादी संख्या 01 टाल–मटोल करती रही व आखिरकार दिनांक 04.03.2026 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने ऐसा करने से साफ–साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख दिनांक 04.03.2026 से वादकारण तथा वाद–हेतुक वादी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है।
6. यह कि उक्त कृषि भूमि रहन नहीं होने के कारण बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है।
7. यह कि दावा कृषि भूमि विभाजन का है तथा स।छक भ्व्स्क्म् होने के कारण दावा हाजा में राजस्थान सरकार को दावा हाजा में पक्षकार प्रतिवादी संख्या 03 बनाया गया है मगर दावा में राज्य सरकार के हितों के प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए दावा से पूर्व धारा 80 जा० दी० के नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।
8. यह कि निवास स्थान फेरीकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखेनुसार डिक्री फरमाया जावे। अन्य अहम तथ्य वरवक्त बहस अर्ज कर दिये जायेंगे।

(क) जरिये डिक्री की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1139/922 तादादी 0.2023 हेक्टेयर रोही रामसरा तहसील व जिला चूरू में वादी का सम्पूर्ण कृषि भूमि में 17873/32368 हिस्सा अर्थात् 0.1117 हेक्टेयर की कब्जे काश्त की कृषि भूमि का खाता विभाजन लगान एनेक्चर ए के अनुसार अलग खाता कायम किया जावे और वादी के भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 कब्जा काश्त न करें व अन्य फैल या तर्क फैल ना करे जिससे वादी के कब्जे काश्त व हक अधिकार पर विपरीत असर पड़े।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे वादी को दिलाया जावे। श्रीमान् जी की कृपा होगी।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस प्रतिवादी संख्या 1 व 02 की ओर से अधिवक्ता शंकर सिंहमार ने उपस्थित होकर वकातलतनामा पेश किया तथा अंकित किया कि वादी का विभाजन किया जाता है तो आपति नही है। जिस पर जवाब बंद किया जाकर बहस सुनी गई। यह वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध कृषि भूमि खसरा नम्बर 1139/922, रकबा 0.2023 हेक्टेयर, स्थित रोही रामसरा, तहसील एवं जिला चूरू के संबंध में खातेदारी अधिकारों के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र, प्रस्तुत अभिलेखों एवं विशेष रूप से जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह तथ्य स्थापित होता है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उक्त कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार हैं तथा भूमि उनके संयुक्त कब्जा काश्त में है। वादी के अनुसार उसका हिस्सा 17873/32368 अर्थात् 0.1117 हेक्टेयर [illegible] के अनुसार पृथक खाता कायम करने हेतु एनेक्चर 'ए' के अनुसार विभाजन की प्रार्थना की [illegible] संख्या 01 एवं 02 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर यह स्पष्ट [illegible] का विभाजन किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः अभिले[illegible] प्रस्तावित विभाजन तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारों के कथनों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी अपने हिस्से के पृथक विभाजन का अधिकारी है।

निर्णय

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 बाबत तकासमा के तहत अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं संयुक्त अराजी खसरा नम्बर 1139/922, रोही ग्राम रामसरा तहसील व जिला चूरू खेत खसरा नम्बर 1139/922, में से वादी के हिस्से की भूमि का संलग्न नक्शे अनेक्चर ए के अनुसार विभाजन किया जाकर अलग से खाता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। अनेक्चर भविष्य में निर्णय व डिक्री का भाग माना जावेगा। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को भिजवाई जावे।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.04.226 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 37 / 2026 दर्ज दिनांक : 16.03.2026

1. रामकुमार सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू

—वादीगण—

बनाम

1. दीपेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरू
2. शक्ति सिंह पुत्र श्री मान सिंह जाति राजपूत निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब चूरू

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित अधिवक्ता
श्री जसवीर अधिवक्ता वादी
श्री शंकर सिंहमार अधिवक्ता प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—: पर्चा डिक्री :—

दावा वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा—53 बाबत् तकसीम आराजी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी संयुक्त अराजी खसरा नम्बर 1139 / 922, रोही ग्राम रामसरा तहसील व जिला चूरू खेत खसरा नम्बर 1139 / 922, मुताबिक अनेक्चर ए नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में खाता प्रविष्टियां दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि
1.	रामकुमार सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवा[illegible] बीनासर खातेदार	[illegible]/922 मी.	0.1117	बारानी
		[illegible]	0.1117	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested

	दीपेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा 4046/14495 जाति राजपूत निवासी बीनासर खातेदार शक्तिसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा 10449/14495 जाति राजपूत निवासी बीनासर खातेदार	1139/922 मी.	0.0906	बारानी
		किता 01	0.0906	

अनेक्चर ए निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करें। तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 06.04.226 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested